

42/HP/2014/ARO
5/4/17
2.21 PM

प्रारूप 2क

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें
भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से
अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम पिता/माता/पति

का नाम उसका डाक पता

..... उसका नाम संसदीय
निर्वाचन-क्षेत्र [में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम
सं० पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग
सं० में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

तारीख (प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग 2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 27, बोका

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम अलीमुद्दीन अंसारी

पिता/माता/पति का नाम इस्मराइल अंसारी

उसका डाक पता ग्राम - डुडुआ, अंचल - बोझी, जिला - बोका, पिन - 813128

उसका नाम 27, बोका संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

162 कोरिया
*(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 147 में क्रम संख्यांक 618

पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक						
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	161-बांका - 55 -	308 -	माधव कुमार -	माधव कुमार		05.04.11
2.	161-बांका - 55 -	291 -	प्रमोद कुमार सिंह -	प्रमोद कुमार सिंह		"
3.	161-बांका - 55 -	133 -	सुजय कुमार सिंह -	सुजय कुमार सिंह		"
4.	161-बांका - 55 -	190 -	चिरंजीव कुमार सिंह -	चिरंजीव कुमार सिंह		"
5.	161-बांका - 55 -	293 -	सुमन कुमार सिंह -	सुमन कुमार सिंह		"
6.	161-बांका - 39 -	422 -	अमित कुमार सिंह -	अमित कुमार सिंह		"
7.	160-धौसा - 155 -	158 -	रीतेश रंजन सिंह -	रीतेश रंजन सिंह		"
8.	162-कटोरीया (अठ गठ जाठ)	147 -	25 -	खेकल अंसारी	खेकल अंसारी	"
9.	162-कटोरीया (अठ गठ जाठ)	147 -	334 -	सगीर अहमद	सगीर अहमद	"
10.	161-बांका - 55 -	124 -	संजन कुमार सिंह -	संजन कुमार सिंह		"

कृपया ध्यान दें - प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग 3क
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

हाँ/नहीं

अधिसूचना सं० का०आ० 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतः स्थापित।

- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे
दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है नहीं

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट

संख्यांक शून्य

- (ii) पुलिस थाना

(थाने) शून्य जिला (जिले) शून्य राज्य शून्य

- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके
(जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था नहीं

- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/ (तारीखें) शून्य

- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था लागू नहीं

- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें
लागू नहीं

- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) शून्य

- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील(अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं

- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ लागू नहीं

- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) सम्मुख अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल
किए गए थे लागू नहीं

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं नहीं

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो—

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) शून्य

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) लागू नहीं

عبدالموئيد القادری

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)]

स्थान : बांका

तारीख : 05.04.2014

भाग 4

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन-पत्र की क्रम सं० 42

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 5.4.14 (तारीख) को 2.21 PM (बजे)

*अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 5.4.14

रिटनिंग आफिसर
सहायक निर्वाची पदाधिकारी
27-बोका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

भाग 5

नामनिर्देशन पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर

लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख

रिटनिंग आफिसर,

(छिद्रण)

*लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

भाग 6

नामनिर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं० 42 का, जो 27-बोका संसदीय
निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन-पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में 5.4.14 (तारीख)
को 2.21 PM (बजे) * अभ्यर्थी/प्रस्थानकर्ता द्वारा परित्त किया गया। सब नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा
7.4.14 (तारीख) को 11.00 AM (बजे) निर्वाचन क्षेत्र (स्थान) में की जाएगी।
केन्द्राधीन क्षेत्र

तारीख 5/4/14



रिटर्निंग आफिसर
सहायक निर्वाची पदाधिकारी
27-बोका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए।

5/4/14
रिटर्निंग आफिसर



"प्ररूप 26"

नियम 4 क देखि



BANKA SCORE BANKA

COURT FEE

Authorization No. 39



INDIA

00000

Rs. 0000020

375277

BIHAR JUDICIAL

-2.4.2014

BIHAR

6065 6219584

27, बांका संसदाय क्षेत्र

निर्वाचन क्षेत्र

से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) बांका (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं अलीमुद्दीन अंसारी ** पुत्र/पुत्री/पत्नी इयराइल अंसारी आयु 53 वर्ष, जो ग्राम - इडुडा, अंचल - बोसी, जिला - बांका पिन - 813128 (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं :-

(1) मैं निर्दलीय (** राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / ** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 27 बांका, 162 क्योरिया (प्र. प्र. प्र.) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 147 के कम सं० 618 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं० 8603572008 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो) नहीं है।

(4) मैं नहीं लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :

क्रम	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुप में)
1	स्वयं <u>अलीमुद्दीन अंसारी</u>	<u>BANPA30906</u>	<u>नहीं</u>	<u>नहीं</u>
2	पति या पत्नी <u>मेरा स्वामी</u>	<u>लागू नहीं</u>	<u>लागू नहीं</u>	<u>लागू नहीं</u>
3	आश्रित-1 <u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
4	आश्रित-2 <u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
5	आश्रित-3 <u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>

अलीमुद्दीन अंसारी

1297
5-4-14



Pranjivan Jha
Notary Public
BANKA (Bihar)
R.No.-523-404

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। *नहीं*

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :- *शून्य*

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/ जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	<i>शून्य</i>
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	<i>शून्य</i>
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	<i>शून्य</i>
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	<i>शून्य</i>
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	<i>शून्य</i>
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	<i>शून्य</i>

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (पूर्वोक्त)

मेरे द्वारा वर्णित मामलों से भिन्न :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	<i>शून्य</i>
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय में संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	<i>शून्य</i>
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाईल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	<i>शून्य</i>

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

नहीं

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि है, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	शून्य

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ।

अ. जंगम अस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरणी दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रितों का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नगदी	42,000	5,000	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1297
5.4.14



Pranjiwan Jha
Notary Public
BANKA (Bihar)
R.No.-523-J-04

	और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गये वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्तया वर्णन किया जाना चाहिए।



क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	किसी भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थित (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10/11/2014

	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्य भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वितीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

عليه التوقيع

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	घनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	परिचय अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्बलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह प्लंबित है का वर्णन करें।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं समान सेवा

(ख) प्रति या पत्नी गृहिणी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

महारसा (उड्ड)

महाराष्ट्र शासन

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु० अलीमुद्दीन अंसारी		
2	डाक का पता	ग्राम-सुडुआ, अंचल-बोखरी, जिला-बोका		
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	27, बोका, बिहार		
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र		
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लागू नहीं		
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	लागू नहीं		
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष उहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	लागू नहीं		
		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	BAND 30906	नहीं	नहीं
	(ख) पति या पत्नी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

उत्तराखण्ड

1298
5.4.14



Pranjiwan Jha
Notary Public
BANKA (Bihar)
R.No.-523-J-04

8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)		लागू नहीं				
	विवरण		स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/ संनिर्माण (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		(ख) विरासत आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है						
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



Pranjiwan Jha
Notary Public
BANKA (Bihar)
R.No.-523-J-04

عبدالمجید الفاضل

11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :
	मदरसा (3 ^र)
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है ;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

अभिषेक 05.04.2014 को सत्यापित किया गया।

अभिषाक्षी



Pranjiwan Jha
Notary Public
BANKA (Bihar)
R.No. 523-J-04

शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य या लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(c) संख्या 121-2008 में रिसर्जस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिये गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य या लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

अभिषेक

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याये है/ हैं 8603572008

मेरा ई-मेल आईडी0 (अगर कोई हो) है नहीं

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है नहीं



Pranjiwan Jha
Notary Public
BANKA (Bihar)
R.No.-523-J-04

عبدالمجید الشافعی

VERIFICATION

I, the deponent, above named, do hereby verify and declare that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed there from. I further declare that:-

(a) there is no case of conviction or pending case against me other than those mentioned in items 5 and 6 of Part A and B above;

(b) I, my spouse, or my dependents do not have any asset or liability, other than those mentioned in items 7 and 8 of Part A and items 8, 9 and 10 of Part B above.

Verified at BANKA this the 31st day of APRIL 2014

عبدالله بن محمد

DEPONENT

Verified by
Pranjiwan Jha
Notary Public
5-4-2014

Note: 1. Affidavit should be filed latest by 3.00 PM on the last day of filing nominations.

Note: 2. Affidavit should be sworn before an Oath Commissioner or Magistrate of the First Class or before a Notary Public.

Note: 3. All column should be filled up and no column to be left blank. If there is no information to furnish in respect of any item, either "Nil" or "Not applicable", as the case may be, should be mentioned.

Note: 4. The Affidavit should be either typed or written legibly and neatly.

[F No. H-II019(6)/2012-Leg.

/I] Dr. SANJAY SINGH, Addl.

Secy.

Note: The principal rules were published vide notification number S.O.859, dated the 15th April, 1961 and last amended vide notifications-

(1) number S.O.728(E), dated the 8th May, 2007.

(2) number S.O. 425(E) dated 23rd February, 2011.

श्री/श्रीमती Pranjiwan Jha
जिलाका पहचान UPENDRA
पद Pranjiwan Jha
आवक Banka

शपथ पत्र में उल्लिखित बातों को धर्म एवं निष्ठापूर्वक भर समझ स्वीकार किया।

400

Pranjiwan Jha
Notary Public
BANKA (Bihar)
R.No.-523-J-04